

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2026—फाल्गुन 15, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB/102(1)/903/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 बैच के अधिकारी श्रीमती शहला निगार को प्रमुख सचिव वेतनमान Pay Matrix Level-15 में दिनांक 01-01-2026 से पदोन्नत कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग, गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/14/2025-AIS-II(Pay), दिनांक 09-12-2025 द्वारा प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 01 रिक्ति निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/71/2026-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री जाधव सागर रामचंद्र (2017)	वन उप संरक्षक, (परियोजना निर्माण निगरानी एवं मूल्यांकन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग. अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्या., नवा रायपुर अटल नगर
2.	श्री चंद्र कुमार अग्रवाल (2022)	जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग, बिलासपुर	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) मनेन्द्रगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2026

क्रमांक 152/File No. ESTB/6552/21-ब/छ.ग./2025.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती अनिता तिग्गा, सहायक ग्रेड-3 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली की दिनांक 09-08-2017 से 03-08-2021 तक की अनुपस्थिति अवधि को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2026

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1768/201807050400020/अ-82/2017-18/2026.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी	4.64 एकड़	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-02-2026 को समय 12.00 बजे से स्थान पंचायत भवन कनबेरी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुदुरमाल एनीकट योजना की निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3179.12 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय निस्तार एवं भू-जल संवर्धन इत्यादि होगा. परियोजना से कुल 03 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कुल 03 ग्राम में जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेयजल की समस्या हल होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2026

क्र./3977/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (व.मी. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतालाब प.ह.नं. 53	242.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.)	टाटीबंध हीरापुर मार्ग एवं उन्नतीकरण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2026

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-सेन्द्रीपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.922 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1528/202103050500002/अ-82/
2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1099	0.010
1100	0.022
1103/2	0.020
1102	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
1205/1क	0.012	1260	0.121
1223	0.061	1264, 1265, 1266	0.061
1228/1	0.032	1293	0.121
1207	0.133	1261	0.032
1224/1	0.053	1262	0.032
1225/1	0.030	1263/2	0.036
1229	0.030	1263/3	0.036
1309	0.049	1268/1	0.061
1206	0.040	1268/2	0.045
1208	0.053	1268/3	0.045
1210/1	0.182	1277/1	0.045
1209/1	0.020		
1198	0.121	योग	36
1212	0.040		1.922
1213/1	0.081	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घिनारा व्यपवर्तन योजना का दायी तट नहर एवं माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.	
1244	0.032	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1235	0.045		
1242/2, 1243/1	0.081		
1240	0.044		
1239	0.020	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1237	0.040	कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांदा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2 दिसम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/6748.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6070-6071 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कुरूद, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/10875/वित्त-1/2025 धमतरी दिनांक 25-11-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कुरूद, जिला धमतरी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31-11-2025 को सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए श्री नभ सिंह कोशले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कुरूद, जिला धमतरी के स्थान पर श्री नभ सिंह कोशले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/6866.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6072-6073 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री हरिक राम ध्रुव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/कृषि/2025-26/5557 धमतरी दिनांक 02-12-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी के भारसाधक अधिकारी श्री हरिक राम ध्रुव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी, जिला धमतरी के स्थान पर सुश्री प्रीति दुर्गम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री हरिक राम ध्रुव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी, जिला धमतरी के स्थान पर सुश्री प्रीति दुर्गम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी जिला धमतरी का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/6868.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6044-6045 नवा रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री एल.पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर, जिला रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक/बोर्ड/बी-4/28/भार.अधि./2025-26/2254 रायपुर दिनांक 04-12-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी श्री लखपति प्रसाद तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर, जिला रायपुर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31-10-2025 को सेवानिवृत्त हो जाने का उल्लेख करते हुए श्रीमति सीता शुक्ला, तहसीलदार अभनपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री एल.पी. तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर, जिला रायपुर के स्थान पर श्रीमति सीता शुक्ला, तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
ब्लॉक-बी, ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2026

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

M.P.F.C. 3
[See Rule 80]

क्रमांक/316308/पापुनि/स्थापना/2025.—Certified that we have in the Forenoon/afternoon of this day, respectively made over and received charge of the office of C.G. Text Book Corporation, Nawa Raipur, C.G. in pursuance of C.G. Govt. GAD Order No. ESTB-102(1)/306/2025-GAD-2 Nawa Raipur, Dated 06-01-2026 and that the officer of receiving charge traveled during joining time-on 14-01-2026 AN.

Relieved Officer — Dr. Priyanka Shukla
Relieving Officer — Digesh Patel

प्रियंका शुक्ला,
प्रबंध संचालक

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th September 2025

No. 36/L.G./2025/II-2-39/2015.—Shri Niranjana Lal Chouhan, the then Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 14 days from 26-10-2024 to 08-11-2024 along with permission to remain out of headquarters from 26-10-2024 to 10-11-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th September 2025

No. 37/L.G./2025/II-2-6/2022.—Shri Vivek Kumar Tiwari, the then Additional Principal Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 06 days from 30-09-2024 to 05-10-2024 along with permission to remain out of headquarters from 30-09-2024 to 06-10-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th September 2025

No. 38/L.G./2025/II-3-32/2007.—Shri D. N. Bhagat, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 20-11-2024 to 23-11-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Bhagat, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th September 2025

No. 39/L.G./2025/II-2-10/2015.—Shri Satyendra Kumar Sahu, Principal District and Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 04 days from 24-09-2024 to 27-09-2024 along with permission to leave headquarters, earned leave for 01 days on 28-09-2024 along with permission to leave headquarters in continuation of earned leave from 24-09-2024 to 27-09-2024 earned leave for 02 days on 31-05-2025 & 01-06-2025 with summer vacation along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 04 days from 22-09-2025 & 25-09-2025 along with permission to remain out of headquarters from 20-09-2025 to 25-09-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 219 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th September 2025

No. 40/L.G./2025/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, Principal District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-12-2024 to 20-12-2024 along with permission to remain out of headquarters from 15-12-2024 to 22-12-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th September 2025

No. 41/L.G./2025/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Principal District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 02 days on 23-12-2024 & 24-12-2024 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)